बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

Email

पत्रांक–6ए / ज0गु0–101 / 2024 488 (आ0) पटना, दिनांक– 28/01/2025

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
जल जीवन मिशन,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषयः–वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वैशाली जिला के विदुपुर, हाजीपुर, सहदेई बुजुर्ग तथा देसरी प्रखण्डों के अधिक आर्सेनिक से प्रभावित 45 ग्रामों / बसावटों में पाईप के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करने के लिए योजना के रख–रखाव एवं परिचालन हेतु राज्यांश मद से 42.03629 लाख रूपये (बयालीस लाख तीन हजार छः सौ उनतीस रूपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वैशाली जिला के विदुपुर, हाजीपुर, सहदेई बुजुर्ग तथा देसरी प्रखण्डों के अधिक आर्सेनिक से प्रभावित 45 ग्रामों / बसावटों में पाईप के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करने हेतु इन ग्रामों के अन्तर्गत वितरण प्रणाली के रूप में पाईप बिछाने हेतु विभागीय पत्रांक–6 / ज02–1013 / 2012–996, दिनांक–14.06.2013 के द्वारा कुल 9493.87 लाख रूपये की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर के द्वारा राशि की अधियाचना की गई है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में वैशाली जिला के अंतर्गत अत्यधिक आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में विदुपुर बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के रख–रखाव एवं परिचालन हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के JJM के नोडल खाता से राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न तालिका के **42.03629 लाख रूपये (बयालीस लाख तीन हजार छः सौ उनतीस रूपये) मात्र** की राशि PFMS के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर का पत्रांक / दिनांक	एकरारनामा संख्या	राज्यांश मद में स्वीकृत राशि	राज्यांश मद में अबतक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि (लाख रूपये में)			
					सामान्य	अनु0 जाति	कुल	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4974/ 28.10.24	SBD-259/ 2019-20	4746.935	2709.78824	8.00	2.08831	10.08831	दस लाख आठ हजार आठ सौ इकतीस रूपये मात्र।
2		SBD-257/ 2019-20			15.00	4.34425	19.34425	उन्नीस लाख चौंतीस हजार चार सौ पच्चीस रूपये मात्र।
3		SBD-256/ 2019-20			10.00	2.60373	12.60373	बारह लाख साठ हजार तीन सौ तिहत्तर रूपये मात्र।
Total					**33.00**	**9.03629**	**42.03629**	बयालीस लाख तीन हजार छः सौ उनतीस रूपये मात्र।

अनुरोध है कि **राज्यांश मद** में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को उक्त राशि PFMS के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन

(राजेश प्रसाद सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह--विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–6ए / ज0गु0–101 / 2024– 488(अ0) पटना, दिनांकः– 28/01/2025

1.प्रतिलिपी–कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **राज्यांश मद** में PFMS के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2.प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4.प्रतिलिपि–सचिव, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5.प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार / दक्षिणी बिहार) / संयुक्त सचिव (प्र0को0) / अधीक्षण अभियंता (मो0) / बजट पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता (मो0–1 / 2) / उप निदेशक (अन्वेषण) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या–10 / आई0टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी–6 / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश प्रसाद सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)